

प्रकरण संख्या 73/2016 मलजी बनाम खीमजी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2020	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टिम्बा महुडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 169, 183, 198, 226, 227, 557/468 कुल किता 6 रकबा 7.76 एकड़ स्थित हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरुष टीटा जी थे, जिनके 4 पुत्र कमजी, धुलजी, मलजी व मडिया हुए। वादीगण मडिया के वारिसान होकर उनका विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु टीटा की मृत्यु होने पर भूमियां में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण धमकी देते हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2016 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री समय पंडया उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।</p> <p>वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिस पर मनन करने पर हमने पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कैम्प में उपस्थित होने की सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। तदनुसार दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर</p>	

अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जिससे वह मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 25.05.2016 को रखा गया, किन्तु बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये एवं उन्हें बिना सुने उक्त दिनांक के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 16.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखकर रेस्पोंडेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

